उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या–97 / 2023

छठदयाल सिंह बनाम् बासुदेव मुण्डा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
03/12/24	इस वाद की कार्यवाही भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में बासुदेव मुण्डा, पिता–स्व० जागो मुण्डा द्वारा समर्पित भू–वापसी आवेदन के आलोक में दायर भू–वापसी वाद संख्या–100 / 2019–20 / 164 / 2020–21 बासुदेव मुण्डा बनाम छठदयाल सिंह में दिनांक–10.08.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध C.N.T. Act की धारा–215 के तहत अपीलार्थी छठदयाल सिंह, पिता–स्व० खेदन सिंह निवास ग्राम–कुरसे द्वारा इस न्यायालय में अपील दायर किया गया। वाद सुनवाई हेतु अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गई। विषयगत वाद में प्रश्नगत भूमि मौजा–कुरसे, थाना–पतरातू के खाता संख्या–49 प्लॉट संख्या–283 कुल रकवा–0.05 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युत्तर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील का आवेदन भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–100 / 2019–2020 / 164 / 2020–2021 में बासुदेव मुण्डा बनाम छठदयाल सिंह में दिनांक–10.08.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि ग्राम–कुरसे थाना–पतरातु, जिला–रामगढ़ के अन्तर्गत खाता नम्बर–49, प्लॉट नं०–283 रकवा–05 डी० है। अपीलार्थी के पिता खेदन सिंह ग्राम–कुरसे के निवासी है परन्तु इनके पास आवासीय मकान बनाने के लिए भूमि नहीं था। इसलिए अपीलार्थी के द्वारा उत्तरवादी के पूर्वज से आवास बनाने हेतू भूमि मांग की गई। उत्तरवादी के पूर्वज मुटर पहान ने मौखिक रूप से अपीलार्थी के पिता को ग्राम–कुरसे के खाता नं०–49 प्लॉट नं०–283 रकवा–35 डी० मध्ये 05 डी० भूमि घर बना कर रहने के लिए लगभग 80 वर्ष पूर्व दिये। भूमि प्राप्त करने के पश्चात् खेदन सिंह घर बना कर परिवार सहित निवास करने लगे। वर्तमान समय में अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि पर बने आवासीय मकान में निवास कर रहें है। उत्तरवादी के एक हिस्सेदार कमलनाथ मुण्डा ग्राम–कुरसे के खाता नं०–49 प्लॉट नं०–283 रकवा–36 डी० भूमि के बावत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में भू–वापसी वाद संख्या–46 / 95 कमलनाथ मुण्डा बनाम बालगोबिन्द	

द्वितीय पक्ष क्रमाक–4 अपीलार्थी है। भू–वापसी वाद संख्या–46/95 में अंचल अधिकारी, पतरातू ने प्रतिवेदन दिया है कि प्रश्नगत खाता के खतियानी रैयत लेदुवा पहान वगैरह है। प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष का कब्जा लगभग 20–25 वर्षों से है तथा घर बना कर परिवार सहित रह रहें है। प्रतिवेदन के क्रमांक–08 में इन्होंने लिखा है कि क्रमांक–4 (अपीलार्थी) क्रमाक–06 एवं 08 के सदस्य भूमिहीन है। इन लोगों के पास सिर्फ मकान है। जो प्रश्नगत भूमि पर बना हुआ है। अंचल अधिकारी, पतरातू के जाँच प्रतिवदेन के आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भी दिनांक–18.10.1996 को स्थल जाँच किया इन्होंने जाँच के क्रम में पाया कि प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष के लोग करीब 50 वर्षों से आवासीय मकान बना कर परिवार सहित निवास कर रहें है। तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ ने आदेश पारित किया कि भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा 12 वर्षों से अधिक से है। इस प्रकार यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा–46 (4)A की परिधी से बाहर है। अतः आवेदक का भूमि वापसी का यह आवेदन पत्र अस्वीकृत करने योग्य है। पूर्व के भू–वापसी वाद की जानकारी होने के बावजूद उत्तरवादी द्वारा पुनः प्लॉट नं०–283 के. रकवा–05 डी० भूमि पर अपीलार्थी के विरूद्ध भू–वापसी का मुकदमा दायर किये है। निम्न न्यायालय के अभिलेख में दिनांक–11.10.2022 के आदेश में लिखा गया है कि नोटिस का तामिला अप्राप्त है। अभिलेख में नोटिस का तामिला प्रतिवेदन भी नहीं लगा हुआ है। इन तथ्यों का अर्थ है कि निम्न न्यायालय अपीलार्थी को भू–वापसी के कार्यवाही की सूचना का तामिला करवाये बिना आदेश पारित किया गया है। जो न्यायिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। निम्न न्यायालय अपीलार्थी के पक्ष को जाने बिना भू–वापसी वाद में दिनांक–10.10.2022 को भू–वापसी का आदेश पारित किये है। निम्न न्यायालय द्वारा आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पतरातू को भेज कर दखल दिहानी का आदेश दिये। अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा अपीलार्थी को सूचना देकर दिनांक–16.09.2023 को दखल दिहानी का तिथि निर्धारित किये। अपीलार्थी को दिनांक–16.09.2023 को ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर बने घर के जमीन पर भू–वापसी आदेश पारित होने के साथ–साथ दखल दिहानी का आदेश हुआ है। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भू–वापसी के कार्यवाही के सूचना का तामिला ठीक से नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा भू–वापसी के कार्यवाही में अपीलार्थी के गैरहजारी में आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित भू–वापसी का आदेश रद्द करने योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन स्वीकार करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यह अपील न तो कानून के आधार पर और न ही तथ्यों के आधार पर विचारणीय है। प्रश्नगत भूमि के खाता संख्या–49, प्लॉट संख्या–283 रकवा–0.05 एकड़ ग्राम–कुरसे की भूमि के संबंध में अपीलकर्ता के पास कोई हस्तांतरण विलेख नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि अपीलकर्ता का मकान पिछले 80 वर्षों से उक्त भूमि पर मौजूद है। इसके अलावा यह जबरन कब्जे का मामला है

अपीलकर्ता द्वारा 12 वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर बेदखल कर दिया गया है, इसलिए निचली अदालत द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैध है। आदिवासी खाते की भूमि उपायुक्त की पूर्व अनुमति के बिना गैर आदिवासी को हस्तांतरित करने की कोई कानूनी क्षमता नहीं है। आदिवासी अपनी भूमि केवल आदिवासी सदस्य को हस्तांतरित कर सकता है, गैर–आदिवासी को नहीं, वर्तमान मामले में अपीलकर्ता गैर–आदिवासी है और विपक्षी आदिवासी है। अपीलकर्ता द्वारा लिया गया दूसरा बचाव रिसजुडिकाटा है। आदिवासी याचिकाकर्ता या उसके पूर्वज को भू–वापसी वाद संख्या–46/95 के बारे में कोई जानकारी हैं। अपीलकर्ता ने दलील दी है कि उसे निचली अदालत से नोटिस नहीं मिला है और भू–वापसी का आदेश पारित नहीं हुआ है, सरासर झुठ है। आदिवासी अपनी भूमि को C.N.T Act की धारा–46 (4-A) के अनुसार आदिवासी के अलावा किसी अन्य को हस्तांतरित नही कर सकता है। अपीलकर्ता ने उपायुक्त की पूर्व अनुमति के बिना विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण किया है। अपीलकर्ता के पास यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है कि वह 12 वर्षो से अधिक समय से विचाराधीन भूमि पर कब्जा कर रहा है। अपीलकर्ता ने स्वीकार किया है कि विपक्षी खतियानी रैयत का उत्तराधिकारी है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बहाल रखने का अनुरोध किया गया।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अपीलार्थी के द्वारा मौखिक रूप से भूमि प्राप्त होने के आधार पर प्रश्नगत भूमि प्राप्त होने का दावा करते है। जबकि विपक्षी खतियानी रैयत के आधार पर प्रश्नगत प्राप्त होने का दावा करते है। अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। जिसके आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा प्रश्नगत भूमि के भू–वापसी का आदेश पारित किया गया है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में अंकित किया गया है कि अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम–कुरसे थाना–पतरातू के खाता संख्या–49, प्लॉट संख्या–283 कुल रकवा–0.05 ए० भूमि सर्वे खतियान में लेदुवा पहान वगै० कौम मुण्डा के नाम से रैयती दर्ज है। चूँकि भूमि आदिवासी खाते की है। अर्थात द्वितीय पक्ष गलत तरीके से आदिवासी भूमि पर कब्जा किये गए है, जिससे भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश विधि–सम्मत प्रतीत होता है।

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुनने एवं संलग्न कागजातों एवं लिखित अभिकथन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–कुरसे, थाना–पतरातू के खाता संख्या–49 प्लॉट संख्या–283 कुल रकवा–0.05 ए० भूमि रैयती खाते की भूमि है। विचाराधीन भूमि पर पूर्व में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय मे भू–वापसी वाद संख्या–46/95 कमलनाथ मुण्डा बनाम बालगोबिन्द करमाली वगै० दायर की गई थी। उक्त वाद में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा स्थल

गया है। जिससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी वर्ष 1996 से पूर्व से अब तक प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा में है, जो बारह वर्षो से अधिक की अवधि है। निम्न न्यायालय इस बिन्दु पर विचार नहीं किया गया है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा समर्पित आवेदन अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलार्थी को निम्न न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जबकि प्राकृतिक न्याय के लिए उभयपक्षों को अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना न्योचित प्रक्रिया है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं की पुनः जाँच कर निर्णय लिए जाने हेतु आवेदन निम्न न्यायालय को Remand करते हुए, आदेश दिया जाता है कि उभयपक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करते हुए C.N.T Act की सुसंगत धाराओं के तहत विधि-सम्मत आदेश पारित करेंगे।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan
03/12/24
उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan
03/12/24
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.12.21 15:52:49 +05:30
Location: 192.168.112.197